<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-436 / 2003</u> <u>संस्थित दिनांक-30.09.2000</u> फाईलिंग क.234503000082000

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

– अभियोजन

/ / <u>विरूद</u> / /

1—कुंवरसिंह पिता बुधसिंह, उम्र—42 वर्ष, निवासी—ग्राम सेमरखेड़ा, थाना गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—तिहारी पिता देवसिंह, उम्र—50 वर्ष, निवासी—ग्राम सेमरखेड़ा, थाना गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3-रतनसिंह पिता कातिकराम, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम सेमरखेड़ा, थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4—बीरनसिंह पिता महासिंह, उम्र—46 वर्ष, निवासी—ग्राम सेमरखेड़ा, थाना गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-29/12/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध धारा—9, 39/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—24.08.2000 को थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा में प्रातः 5:00 बजे, अनुसूची—1 के वन्य प्राणी चीतल को घेरकर, जिसे आरोपी मंगलिसंह ने तीर से मारा तथा चीतल का शिकार कर मांस का बंटवारा कर अपने कब्जे में रखा तथा आरोपी रतनिसंह ने बिना अनुज्ञा के वन्य प्राणी चीतल का चमड़ा रखा। उपरोक्त वन्यप्राणी के शिकार करने के लिए तथा मांस व चमड़ा रखने के लिए आरोपीगण ने कोई अनुज्ञा प्राप्त नहीं की।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—24.08.2000 को थाना प्रभारी गढ़ी गश्ती में ग्राम कोयलीखापा, सेमरखेड़ा गया था, जहां मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त

हुई कि मंगलसिंह बैगा ने तीर कमान से वन्यप्राणी चीतल का शिकार किया है और चीतल का चमड़ा रतनसिंह बैगा के पास है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ नवलसिंह गोंड व गनपत बंजारा के साथ मौके पर गया और घेराबंदी कर रतनसिंह बैगा को पकड़ा, जिसने बताया कि वन्यप्राणी चीतल को मंगलसिंह बैगा ने तीर कमान से बाड़ी में मारा है और पड़ोसी तिहारी अगरिया, बीरनसिंह अगरिया, कुंवरसिंह बैगा सभी ने शिकार कर मांस का बंटवारा किया है। आरोपी रतनसिंह बैगा के मकान की तलाशी लेने पर एक नग चीतल का चमड़ा सफेद थैली से बरामद किया, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं आरोपी तिहारी अगरिया, बीरन अगरिया, कुंवरसिंह बैगा को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी तिहारी अगरिया, बीरनसिंह अगरिया के पास से एक-एक पाव चीतल का मांस उबला हुआ बरामद हुआ। आरोपी कुंवरसिंह के कब्जे से करीब 2 किलो कच्चा ताजा चीतल का मांस बरामद हुआ। आरोपी मंगलसिंह बैगा मकान का ताला लगाकर भाग जाना पाया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक–39/2000, अंतर्गत धारा—379, 34 भा.द.वि. एवं धारा—9, 49बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत् पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण व साक्षियों के कथन लेखबद्व किये गये, जप्तश्रुदा चीतल का चमड़ा रासायनिक परीक्षण हेत् भेजा गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— प्रकरण में आरोपी मंगलिसंह की फौत हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।
- 4— आरोपीगण को धारा—9, 39/51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—24.08.2000 को थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम सेमरखंड़ा में प्रातः 5 बजे, अनुसूची—1 के वन्य प्राणी चीतल को घेरकर, जिसे आरोपी मंगलिसंह ने तीर से मारा तथा चीतल का शिकार कर मांस का बंटवारा कर अपने कब्जे में रखा तथा आरोपी रतनिसंह ने बिना अनुज्ञा के वन्य प्राणी चीतल का चमड़ा रखा। उपरोक्त वन्यप्राणी के शिकार करने के लिए तथा मांस व चमड़ा रखने के लिए आरोपीगण ने कोई अनुज्ञा प्राप्त नहीं की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी उमेदसिंह अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—24.08.2000 को थाना गढ़ी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह देहात गश्त पर ग्राम कोयलीखापा सीमरखेड़ा गया था, जहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मंगलिसंह बैगा ने वन्यप्राणी चीतल का शिकार किया है और चीतल का चमड़ा रतन बैगा के पास है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षी नवलिसंह एवं गनपत को लेकर गया, जहां आरोपी रतनिसंह बैगा को पकड़कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी मंगलिसह ने तीर कमान से चीतल को बाड़ी में मारा है और पड़ोसी तिहारी अगिरया, बीरनिसंह अगिरया, कुंवरिसंह बैगा ने मांस का बंटवारा किया है। आरोपी रतनिसंह ने चीतल का कच्चा ताजा चमड़ा मकान मे बिस्तर के नीचे रखें होने का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—12 गवाहों के समक्ष दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रतनिसंह द्वारा पेश किये जाने पर साक्षियों के समक्ष एक नग चीतल का चमड़ा, जो बीच से आधा कटा हुआ था, कच्चा चमड़ा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 7— उक्त दिनांक को ही आरोपी तिहारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—1 दिया था, जिसमें उसने बताया था कि आरोपी मंगलिसंह उसके घर बुलाने आया था और बोला था कि बाड़ी में चीतल घुसा है, चलो मिलकर शिकार करते हैं, तब उसने पड़ोस के कुंवरिसंह बैगा, बीरनिसंह अगिरया और मंगलिसह के साथ चीतल की घेराबंदी की और मंगलिसंह ने तीर कमान से चीतल को मारा। चितल के मांस का आपस में बंटवारा किया तथा कुछ मांस हण्डी में छुपाकर मकान में रखा हूं, चलो चलकर दे देता हूं का कथन दिया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी तिहारी से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 अनुसार चीतल का मांस उबला हुआ जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8— उक्त दिनांक को आरोपी बिरनसिंह को साक्षियों के समक्ष अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने प्रदर्श पी—2 के मेमोरेण्डम दिया था, जिसमें बताया था कि उसने कुछ मांस उबला हुआ रखा है और हण्डी मकान में छुपा दी है, चलो चलकर दिए देता हूं, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से मांस जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 9— उक्त दिनांक को ही आरोपी कुंवरसिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने प्रदर्श पी—3 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि चीतल का कच्चा मांस घर में छुपाकर रख दिया हूं, चलो चलकर निकाल कर देता हूं, जिसके सी से भाग पर उसके हस्ताक्षर लिये थे। आरोपी कुंवरसिंह से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—7 अनुसार चीतल का 14 नग कच्चा ताजा मांस, करीब 2 किलो जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— दिनांक—26.08.2000 को आरोपी मंगलिसंह को अभिरक्षा में लेकर साक्षी मानिसंह और तिहारूसिंह की उपस्थिति में पूछताछ करने पर उसने प्रदर्श पी—8 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने रतनिसंह बैगा, मंगलिसंह बैगा, बीरनिसंह अगिरया और तिहारीसिंह के साथ मिलकर चीतल को मार डाला था और आपस में मांस का बंटवारा किया था एवं चीतल की खाल रतनिसंह बैगा ले गया था। उसके पास चीतल का तीन—चार किलो मांस है, जिसमें कुछ खा लिया हूं, कुछ मांस घर में उबला कर रखा हूं तथा धनुष बाण एवं कुछ उबला हुआ मांस भी मकान के कमरे के अंदर है, चलो चलकर दे देता हूं का कथन दिया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मंगलिसंह बैगा से साक्षियों के समक्ष एक धनुष बाण तथा चीतल का उबला हुआ मांस दो सौ ग्राम प्रदर्श पी—9 अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— दिनांक—24.08.2000 को आरोपी रतनसिंह, तिहारीसिंह, बीरनसिंह, कुंवरसिंह एवं दिनांक—26.08.2000 को मंगलसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—13 से लगायत 17 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा देहाती नालसी, प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/2000, अंतर्गत धारा—9, 49बी, 50, 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम एंव धारा—379, 34 भा.द.वि. के तहत लेख किया, जो प्रदर्श पी—18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी नवलसिंह से पूछताछ कर उसके बयान लिये थे तथा थाना गढ़ी वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक—39/2000, अंतर्गत धारा—9, 49बी, 50, 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम एवं धारा—379, 34 भा.द.वि. के तहत लेख की थी, जो प्रदर्श पी—19 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— जप्तशुदा मांस मुलाहिजा हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी गढ़ी को प्रेषित किया था, जिसकी कार्बन प्रति चालान के साथ संलग्न है, जिसके पृष्ठ भाग पर वेटनरी ऑफिसर की रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 लेख है। उसके द्वारा दिनांक—26.08.2000 को जप्तशुदा चीतल का मांस परीक्षण हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी बैहर को दिया गया था, जिसकी कार्बन प्रति चालान के साथ संलग्न है एवं आवेदन के पृष्ठ भाग पर वेटनरी ऑफिसर बैहर की रिपोर्ट संलग्न है। जप्तशुदा मांस को विधिवत् अनुमित लेकर नष्ट किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी—20 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—24.08.2000 का रवानगी वापसी रोजनामचा सान्हा कमांक—763, 766 की सत्यप्रतिलिपि चालान के साथ संलग्न किया है। उसके द्वारा जप्तशुदा मांस को परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजा गया था, जिसका ड्राफ्ट चालान के साथ संलग्न है। आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मांस परीक्षण के संबंध में

कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, यह भी कहा है कि जप्तशुदा मांस किस पशु का था, वह नहीं बता सका है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण के नाम नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने देहरादून मांस की जांच हेतु कोई संपत्ति नहीं भेजी थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैडकर अपने मन से की थी।

13— डॉक्टर ए.के. सैनी अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह पशु चिकित्सक सहायक संलग्न के पद पर पशु चिकित्सालय बैहर में पदस्थ था। दिनांक—26.08.2002 को पशु चिकित्सालय बैहर में थाना प्रभारी गढ़ी द्वारा खाल व उबला हुआ मांस परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने पाया कि खाल वन्य प्राणी चीतल की हो सकती थीं तथा मांस किस प्राणी का था वह नहीं बता सकता। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उसके समक्ष थाना प्रभारी गढ़ी द्वारा उबला हुआ मांस परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था और उसने मांस किस प्राणी का है, यह बताने की असमर्थता व्यक्त की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि खाल व मांस जिस बोरी में उसके सामने परीक्षण के लिए लाए गए थे, वे सीलबंद नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह खाल का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि परीक्षण के समय खाल कितनी पुरानी थी, यह बात वह नहीं बता सकता।

14— आर.आर. झारिया अ.सा.७ ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। न्यायालय द्वारा जारी किये गए ज्ञापन के आधार पर थाना प्रभारी गढ़ी के आदेश पर वह न्यायालय में रोजनामचा सान्हा रिजस्टर लेकर उपस्थित हुआ है, जो रोजनामचा सान्हा क्रमांक—662 है, जिसमें रवानगी का समय 8:30 बजे दर्ज है, जिसमें आरोपीगण को वन्य प्राणी चीतल के मांस की सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक—766 समय 14:30 बजे दर्ज है, जिसमें मौके पर आरोपीगण को चीतल का शिकार करते पकड़ा गया दर्ज है। सत्यप्रतिलिपि रवानगी प्रदर्श पी—21 है एवं वापसी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—22 है। रोजनामचा सान्हा की मूल प्रति 662 रवानगी प्रदर्श पी—21 अंकित है। रोजनामचा सान्हा कमांक की मूल प्रति 766 वापसी प्रदर्श पी—22 अंकित है।

15— न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी का आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—91 द.प्र. सं. स्वीकार कर प्रकरण से संबंधित रोजनामचा सान्हा न्यायालय के समक्ष बुलाया गया था। रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—22 को प्रकरण के विवेचक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साक्षी आर.आर. झारिया अ.सा.७ ने कहा है कि रवानगी व वापसी किसके द्वारा लेख की गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। रोजनामचा प्रदर्श पी—22 पर किसके हस्ताक्षर इसकी जानकारी न होना व्यक्त किया है।

गनपत अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण 16-को पहचानता है। वन्यप्राणी चीतल के मारे जाने की जानकारी उसे नहीं है। आरोपी तिहारी ने उसके सामने पुलिस को नहीं बताया था कि मंगलिसंह ने तीर कमान से चीतल को मारा है तथा उसका मांस आपस में बांटकर खा लिया है और कुछ मांस हंडी में रखा है। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। धीरसिंह ने भी उसके सामने यह नहीं बताया कि मंगलसिंह ने चीतल को तीर से मारा है तथा सभी लोगों ने उसका मांस खांए है और कुछ मांस छिपाकर रखे हैं। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उपरोक्त बातें कुंवरसिंह ने नहीं बताया था और पुलिस ने उसके समक्ष चीतल का चमड़ा जप्त नहीं किया था। कुंवरसिंह का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 है एवं जप्ती प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने तिहारी के पास से मांस का डिब्बा जप्त नहीं हुआ, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष वीरेन्द्र सिंह के पास से मांस का टुकड़ा जप्त नहीं हुआ था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कुंवरसिंह के पास से मांस का टुकड़ा जप्त नहीं हुआ था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि पुलिस उसके सेठ की गाड़ी लेकर गई थी, जिसमें वह गया था, परंतु उसने पुलिस को चीतल का चमड़ा जप्त करते हुए नहीं देखा था।

17— नवलसिंह अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके समक्ष आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की गई थी और न ही पंचनामा बनाया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि पुलिसवाले पुलिस थाना गढ़ी से बुलाकर उसे ले गए थे, परंतु आरोपी रतनसिंह, कुंवरसिंह एवं मंगलसिंह से पुलिस ने उसके सामने पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—8 पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु इस बात से इंकार किया मेमोरेण्डम उसके सामने पुलिस ने लेख किया था। साक्षी ने जप्ती तथा गिफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी—1 लगायत 7, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—4 की कार्यवाही अपने समक्ष किये जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिसवालों के डर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

18— तिहारूसिंह अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी मंगरू ने उसके समक्ष पुलिसवालों को बताया था कि उसने चीतल का मांस हंडी में तथा धनुष बाण मकान में रखा है, जिसे चलकर बरामद करा देगा। पुलिसवालों ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—8 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मंगरू से चीतल का मांस व धनुष बाण जप्त कर जप्तीपत्रक

प्रदर्श पी—9 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह कभी ग्राम सेमरखेड़ा नहीं गया। साक्षी ने कहा है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर उसने पुलिस थाना गढ़ी में किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब आरोपीगण से पूछताछ की जा रही थी, तब वह थाने पर नहीं था। साक्षी ने कहा है कि मांस व चमड़ा कहां से लाए गए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

19— मानसिंह अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। आरोपी मंगलू से उसके समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम नहीं बनाया गया था। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—8 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रकरण में आरोपीगण पर वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस 20-बंटवारा करने एवं मांस खाने के संबंध में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षी उम्मेदसिंह अ.सा.६ ने यह कहा है कि मुखबिर से सूचना के पश्चात् ही मौके पर गया था, जहां उसने आरोपी मंगलसिंह के आधिपत्य से चीतल का मांस जप्त किया था तथा चमड़ा अरोपी रतनसिंह के पास से जप्त किया था। उम्मेदसिंह अ.सा.६ के कथनों के अनुसार जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही ग्राम सेमरखेड़ा में की गई थी। मेमोरेण्डम कथन भी साक्षी उम्मेदसिंह अ.सा.६ द्वारा लेख किया गया था। उपरोक्त कार्यवाही का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है, जबकि साक्षी गनपत अ.सा.1 ने कहा है कि आरोपीगण से मेमोरेण्डम उसके समक्ष लेख नहीं कराए गए थे। उसने समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी नवलसिंह अ.सा.2 ने भी कहा है कि उसने पुलिस के डर के कारण मेमोरेण्डम कथन पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी तिहारूसिंह अ.सा.३ ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपी मंगलिसंह बैगा ने उसके सामने पुलिस को बताया था कि उसने अपने घर में मांस छुपाकर रखा है और मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-8 पुलिस ने लेख किया था, जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि पूछताछ करने के समय वह उपस्थित नहीं था, वह वायरलेस के कमरे में था। साक्षी मानसिंह अ.सा.४ ने भी मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष लेख कराए जाने से इंकार किया है।

21— घटना का समर्थन प्रकरण से संबंधित रोजनामचा सान्हा के प्रदर्श कराए जाने से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रोजनामचा सान्हा किस व्यक्ति द्वारा लेख किया था। इस विषय में भी साक्षी आर.आर. झारिया अ.सा.७ ने भी जानकारी होने से इंकार किया है। यदि चिकित्सीय साक्षी ए.के. सैनी अ.सा.७ के कथनों पर विचार किया जावे तो उसका यह कहना है कि वह खाल परीक्षण करने का विशेषज्ञ नहीं है एवं जब उसके समक्ष खाल प्रस्तुत की गई थी, तब वह सीलबंद अवस्था में नहीं थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण से जप्तशुदा खाल एवं मांस ही चिकित्सीय साक्षी ए.के. सैनी अ.सा.७ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, यह बात भी प्रमाणित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतएव आरोपीगण को धारा—9, 39/51 वन्य प्राणी (संरक्षण)

अधिनियम 1972 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

मामले में आरोपी रतनसिंह, बीरनसिंह, कुंवरसिंह, तिहारीसिंह दिनांक-25.08. 22-2000 से दिनांक-05.09.2000 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें है। जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वन्य प्राणी चीतल की खाल वन विभाग को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु दी जावे एवं जप्तशुदा संपत्ति धनुषबाण एवं तीर मूल्यहीन आने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया |

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

्रा कर. प्रथम बालाघाट (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,